

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 04-04-2025

लोकसभा ने तटीय नौवहन विधेयक, 2024 पारित किय

भारत और विश्व पर अमेरिका का 'पारस्परिक टैरिफ'

वन अधिकार अधिनियम (FRA)

अंडरसी केबल (Undersea Cables)

संक्षिप्त समाचार

तिपिटक

भरणी महोसुन

संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पष्टि करने वाला वैधानिक प्रस्ताव पारित किया।

बाक से बेलेम रोडमैप

चपाता मिर्च को GI टैग

Axiom-4 सिंशन (Ax-4)

कन्धिपया के लिए GI टैग

समटी खाद्य निर्यात पर आ

पोप का पिट वाहपर विष

गणीय धनीय पात्रं प्रहासम्

ਵੱਡੇ ਅਮੈਰੀਕੀ ਰੋਗਾਲ੍ਜ਼ ਟੀਪਾ ਗਾਵਾਂ
Governor's role crucial
for healthy federation.

GO - IN PROFILS d'ingénierie

लोकसभा ने तटीय नौवहन विधेयक, 2024 पारित किया

संदर्भ

- लोकसभा ने तटीय नौवहन विधेयक, 2024 पारित कर दिया है।

परिचय

- यह विधेयक भारतीय तटीय जलक्षेत्र में व्यापार में लगे जहाजों को विनियमित करता है, जिसमें प्रादेशिक जलक्षेत्र और समीपवर्ती समुद्री क्षेत्र शामिल हैं।
- यह विधेयक वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रमुख समुद्री राष्ट्रों के समर्पित कानूनों पर आधारित है।
- यह तटीय नौवहन से संबंधित कानूनों को समेकित एवं संशोधित करता है, तटीय व्यापार को बढ़ावा देता है और घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

प्रमुख विशेषताएँ

- तटीय जल:** प्रादेशिक जल 12 समुद्री मील (लगभग 22 किमी.) तक फैला हुआ है, और समीपवर्ती समुद्री क्षेत्र 200 समुद्री मील (लगभग 370 किमी.) तक फैला हुआ है।
- मर्चेंट शिपिंग अधिनियम का निरसन:** विधेयक तटीय व्यापार में जहाजों को विनियमित करने वाले मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के भाग XIV को निरस्त करने का प्रयास करता है।
- शामिल पोत प्रकार:** विधेयक जहाजों, नावों, नौकायन जहाजों और मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग इकाइयों सहित सभी प्रकार के जहाजों को नियंत्रित करता है।
- तटीय व्यापार परिभाषा का विस्तार:** विधेयक अन्वेषण, अनुसंधान और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों (मत्स्यन को छोड़कर) जैसी सेवाओं को शामिल करने के लिए तटीय व्यापार का विस्तार करता है।
- लाइसेंस आवश्यकताएँ:**
 - भारतीय नागरिकों के पूर्ण स्वामित्व वाले जहाजों को तटीय व्यापार के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

- भारतीय नागरिकों के पूर्ण स्वामित्व वाले जहाजों को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
- भारत के बाहर संचालन के लिए जहाजों को किराए पर लेने वाले भारत के विदेशी नागरिक (OCIs) लाइसेंस की आवश्यकता से मुक्त हैं।
- लाइसेंस जारी करना:** केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त शिपिंग महानिदेशक लाइसेंस जारी करते हैं।
- बढ़ी हुई सजा:** विधेयक बिना लाइसेंस के तटीय व्यापार के लिए अधिकतम जुर्माना बढ़ाकर 15 लाख रुपये या बिना लाइसेंस के यात्रा से होने वाले लाभ का चार गुना कर देता है।
 - कारावास दंड की जगह सिविल दंड (5 लाख रुपये तक या उल्लंघन से होने वाले लाभ का दोगुना) लागू करता है।
- राष्ट्रीय रणनीति योजना:** केंद्र सरकार को अधिनियम के लागू होने के दो वर्ष के अन्दर राष्ट्रीय तटीय और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रणनीतिक योजना तैयार करनी होगी।
- राष्ट्रीय डेटाबेस:** पारदर्शिता और समन्वय बढ़ाने के लिए तटीय शिपिंग के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस पेश किया गया।
- छूट देने की शक्तियाँ:** केंद्र सरकार के पास विधेयक के प्रावधानों से कुछ श्रेणियों के जहाजों को छूट देने की शक्ति है।
- व्यापार करने में आसानी:** भारतीय जहाजों के लिए सामान्य व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता को हटाता है और अनुपालन भार को कम करता है।
- भारतीय जहाज निर्माण के लिए समर्थन:** विदेशी जहाजों को भारतीय जहाज निर्माण और नाविकों के लिए रोजगार का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारत का नौवहन क्षेत्र

- कार्गो यातायात वृद्धि:** तटीय कार्गो यातायात में 2014-2024 के दौरान 119% की वृद्धि हुई है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 230 मिलियन टन है।

- उपलब्धियाँ:** बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने पिछले दशक में कार्गो हैंडलिंग क्षमता में 103% की वृद्धि की है।
- बंदरगाह रैंकिंग में सुधार:** भारत की बंदरगाह रैंकिंग 2014 में 54वें स्थान से बढ़कर 2023 में 38वें स्थान पर पहुँच गई है, जिसमें नौ भारतीय बंदरगाह अब वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 में शामिल हैं।
- भविष्य के लक्ष्य:** भारत ने समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2035 तक बंदरगाह अवसंरचना परियोजनाओं में 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की रूपरेखा तैयार की है।
 - भारत एक दशक के अन्दर अपने बेड़े में कम से कम 1,000 जहाजों का विस्तार करने के लिए एक नई शिपिंग कंपनी स्थापित करने की योजना बना रहा है।

सरकार की पहल

- सागरमाला कार्यक्रम:** भारत के समुद्र तट और नौगम्य जलमार्गों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे, तटीय विकास और कनेक्टिविटी का समर्थन करता है।
 - तटीय बर्थ, रेल/सड़क कनेक्टिविटी, मछली बंदरगाह, क्रूज टर्मिनल जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता।
- मैरीटाइम इंडिया विज्ञन 2030 (MIV 2030):** भारत को 2030 तक शीर्ष 10 जहाज निर्माण राष्ट्र बनने और विश्व स्तरीय, कुशल और सतत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य।
 - दस प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में 150 से अधिक पहल शामिल हैं।
- अंतर्देशीय जलमार्ग विकास:** भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा 26 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान की गई है।
 - वैकल्पिक, सतत परिवहन प्रदान करता है, जिससे सड़क/रेल की भीड़ कम होती है।
- ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP):** ईंधन आधारित बंदरगाह टगों को पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ ईंधन से चलने वाले टगों से बदलने का लक्ष्य।

- प्रमुख बंदरगाहों में 2040 तक ट्रांजिशन पूरा हो जाएगा।
- सागरमंथन संवाद:** भारत को समुद्री वार्ता के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक वार्षिक समुद्री रणनीतिक संवाद।
- समुद्री विकास निधि:** बंदरगाहों और शिपिंग बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए 25,000 करोड़ रुपये का कोष, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
- जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति (SBFAP 2.0):** भारतीय शिपियार्ड को वैश्विक दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए आधुनिकीकरण किया गया।

निष्कर्ष

- विधेयक भारत के विशाल और रणनीतिक समुद्र तट की पूरी क्षमता को उजागर करने का प्रयास करता है, तटीय व्यापार के लिए एक समर्पित कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- यह विदेशी जहाजों पर हमारी निर्भरता को कम करेगा और रसद लागत को काफी कम करेगा, हरित परिवहन को बढ़ावा देगा, और जहाज निर्माण, बंदरगाह सेवाओं और पोत संचालन में रोजगार सृजित करेगा।
- ये प्रयास भारत के समुद्री क्षेत्र को एक सतत, अभिनव और भविष्य के लिए तैयार पारिस्थितिकी तंत्र की ओर ले जाएँगे, जिससे वैश्विक समुद्री परिवहन में एक केंद्रीय अभिकर्ता के रूप में इसका स्थान सुनिश्चित होगा।

Source: PIB

भारत और विश्व पर अमेरिका का 'पारस्परिक टैरिफ'

- एक महत्वपूर्ण कदम के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत सहित विभिन्न देशों से आयात पर 'पारस्परिक टैरिफ' की घोषणा की, जिसका उद्देश्य व्यापार असंतुलन को दूर करना था, लेकिन इससे आर्थिक स्थिरता और कूटनीतिक संबंधों को लेकर वैश्विक चिंताएँ उत्पन्न हो गईं।

टैरिफ़

- यह सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर या शुल्क है।
- इसका उपयोग व्यापार को विनियमित करने, घेरेलू उद्योगों की रक्षा करने, राजस्व उत्पन्न करने, व्यापार असंतुलन को ठीक करने और आर्थिक लाभ उठाने के लिए किया जाता है।

पारस्परिक टैरिफ़ (Reciprocal Tariff)

- यह किसी दूसरे देश द्वारा लगाए गए टैरिफ़ या व्यापार बाधाओं के जवाब में एक देश द्वारा लगाए गए व्यापार उपायों को संदर्भित करता है।
- इसका उद्देश्य निर्यात पर लगाए गए शुल्कों को प्रतिबिम्बित करके समान अवसर उपलब्ध कराना है।

रियायती पारस्परिक टैरिफ़

- यह दो देशों (या आर्थिक ब्लॉकों) के बीच एक व्यापार व्यवस्था है, जहाँ प्रत्येक देश पारस्परिक आधार पर दूसरे से वस्तुओं या सेवाओं पर आयात शुल्क को कम करने या समाप्त करने के लिए सहमत होता है, लेकिन मानक टैरिफ़ प्रतिबद्धताओं की तुलना में रियायती दरों पर।
- यह एक व्यापार उपाय है जिसे कथित व्यापार असंतुलन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पारस्परिक टैरिफ़ की मुख्य विशेषताएँ

- 'मुक्ति दिवस'** की घोषणा: ट्रम्प ने 2 अप्रैल, 2025 को 'मुक्ति दिवस' के रूप में घोषित किया, जो व्यापार असंतुलन को संबोधित करने के उद्देश्य से पारस्परिक शुल्कों की शुरूआत को चिह्नित करता है।
- बेसलाइन टैरिफ़:** सभी आयातों पर एक सार्वभौमिक 10% टैरिफ़ लगाया गया था, जिसमें यूएसए के साथ महत्वपूर्ण व्यापार अधिशेष वाले देशों पर उच्च दरें लागू की गई थीं।
 - यूएसए को इसके निर्यात पर टैरिफ़ 10% से 50% तक थे।
 - प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों में कपड़ा, रसायन, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल थे।

- देश-विशिष्ट टैरिफ़:** भारत को 26% छूट वाले पारस्परिक टैरिफ़ का सामना करना पड़ा, जबकि चीन को 34%, यूरोपीय संघ को 20%, जापान को 24% और ताइवान को 32% का सामना करना पड़ा।
- आर्थिक तर्क:** टैरिफ़ की गणना व्यापार घाटे को संतुलित करने और मुद्रा हेरफेर और नियामक मतभेदों जैसे गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए की गई थी।

भारत पर प्रभाव

- निर्यात संबंधी चुनौतियाँ:** भारत को अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात पर 26% टैरिफ़ का सामना करना पड़ा, जिससे ऑटोमोबाइल, कपड़ा और मत्स्य पालन जैसे प्रमुख क्षेत्र प्रभावित हुए।
 - इसने भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौती खड़ी कर दी, जिन्हें अमेरिकी बाजार में उच्च लागत और कम प्रतिस्पर्धात्मकता से निपटना पड़ा।
- आर्थिक समायोजन:** प्रभाव को कम करने के लिए, भारत रत्न, आभूषण और ऑटो पार्ट्स सहित अमेरिकी आयात पर टैरिफ़ कम करने पर विचार कर सकता है।
- रणनीतिक साझेदारी:** टैरिफ़ के बावजूद, भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दे रहा है, जिसका लक्ष्य दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग है।
- तुलनात्मक लाभ:** भारत (26%) पर टैरिफ़ वियतनाम (46%), थाईलैंड (37%), बांग्लादेश (37%), श्रीलंका (44%) और पाकिस्तान (30%) सहित अन्य एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में कम है, जो भारत को कुछ 'तुलनात्मक लाभ' दे सकता है।

भारत-अमेरिका व्यापार: मुख्य विशेषताएँ

- कुल व्यापार:** 2024 में अमेरिका और भारत के बीच कुल वस्तु व्यापार अनुमानित 129.2 बिलियन डॉलर था।
 - भारत को अमेरिकी निर्यात:** 41.8 बिलियन डॉलर, 2023 से 3.4% अधिक।
 - भारत से अमेरिकी आयात:** 2024 में 87.4 बिलियन डॉलर, 2023 से 4.5% अधिक।
- व्यापार घाटा:** 2024 में 45.7 बिलियन डॉलर, 2023 से 5.4% अधिक।

अमेरिका को भारत के शीर्ष निर्यात	तर्जनाधीश एक टकरमिअैक तराभ
<ul style="list-style-type: none"> कीमती पत्थर और धातुएँ: हीरे और सोना सबसे अधिक मूल्यवान निर्यातों में से हैं। दवा उत्पाद: जेनेरिक और APIs भारत से अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात का एक बड़ा हिस्सा हैं। परिधान और वस्त्र: परिधान, घरेलू वस्त्र और सूती कपड़े प्रमुख हैं। इंजीनियरिंग सामान: इसमें ऑटो घटक, उपकरण, औद्योगिक मशीनरी शामिल हैं। कार्बनिक रसायन: रसायन और संबद्ध उद्योगों के लिए कच्चा माल। IT और सॉफ्टवेयर सेवाएँ: हालाँकि हमेशा व्यापारिक डेटा में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन IT सेवाएँ एक बड़ा योगदानकर्ता हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> पेट्रोलियम और कच्चा तेल: कच्चे तेल और LNG निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण: इसमें विमान, पुर्जे और रक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं। चिकित्सा उपकरण और उपकरण: उच्च गुणवत्ता वाले नैदानिक और शल्य चिकित्सा उपकरण। इलेक्ट्रॉनिक सामान: अर्धचालक, कंप्यूटर पुर्जे और बहुत कुछ। औद्योगिक मशीनरी: स्वचालन, विनिर्माण और बिजली उत्पादन उपकरण। कृषि उत्पाद: विशेष रूप से बादाम, सेब और सोयाबीन।

भारत में प्रभावित क्षेत्र

- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र: भारत से लगभग 14 बिलियन डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पर नए अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव पड़ सकता है।
- रत्न और आभूषण: 9 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के निर्यात प्रभावित हो सकते हैं।
- ऑटो पार्ट्स और एल्युमीनियम: नए 26% टैरिफ से प्रभावित नहीं हैं, लेकिन अभी भी ट्रम्प द्वारा पहले घोषित 25% टैरिफ का सामना कर रहे हैं।
- फार्मास्युटिकल और ऊर्जा उत्पाद: लगभग 9 बिलियन डॉलर के फार्मास्युटिकल निर्यात को नवीनतम टैरिफ से छूट दी गई है।
 - ऊर्जा उत्पादों को भी छूट दी गई है।

शेष विश्व पर प्रभाव

- वैश्विक व्यापार तनाव: चीन, वियतनाम और यूरोपीय संघ जैसे देशों को और भी अधिक टैरिफ का सामना करना पड़ा, जिनकी दरें 54% तक पहुँच गईं।
 - इससे व्यापार तनाव बढ़ गया और वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंकाएँ बढ़ गईं।
- बाजार में अस्थिरता: टैरिफ के कारण बाजार में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव हुआ, वैश्विक शेयर सूचकांकों में

तीव्र गिरावट देखी गई।

- अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भर व्यवसायों को व्यवधानों और बढ़ी हुई लागतों का सामना करना पड़ा।
- प्रतिशोधी उपाय: कई देशों ने अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ की घोषणा की, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया।

Source: TH

वन अधिकार अधिनियम(FRA)

समाचार में

- शोधकर्ताओं और अभियानकर्ताओं को डर है कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय की महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अंतर्गत खारिज किए गए दावों की उचित समीक्षा नहीं की है।

परिचय

- कैपेन फॉर सर्वाइवल एंड डिग्निटी जैसे मंचों के तहत 150 से अधिक आदिवासी और वन अधिकार संगठनों ने सरकार पर वन अतिक्रमण पर अपूर्ण और भ्रामक आँकड़े प्रस्तुत करने तथा FRA को पूरी तरह से लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के बारे में

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम (FRA) के रूप में जाना जाता है, 2006 में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अधिनियमित किया गया था:
 - वनवासी समुदायों के विरुद्ध ऐतिहासिक अन्याय को मान्यता देना।
 - अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTFD) को वन भूमि और संसाधनों पर कानूनी अधिकार प्रदान करना।
 - ग्राम सभाओं को जमीनी स्तर पर दावों को सत्यापित करने और अनुमोदित करने का अधिकार देना।
 - यह सुनिश्चित करता है कि आदिवासी जनसंख्या एवं वनवासियों को उचित पुनर्वास के बिना बेदखल न किया जाए, जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और निपटान अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे तथा पारदर्शिता के अधिकार के साथ संरचित है।
- FRA में भूमि, वन उपज, चरागाह क्षेत्रों और पारंपरिक ज्ञान पर व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के प्रावधान शामिल हैं।

वन अधिकार अधिनियम (FRA) का विकास

- औपनिवेशिक काल में, ब्रिटिश नीतियों ने वन संसाधनों का दोहन किया, जिससे आदिवासी और वनवासी समुदाय असुरक्षित स्थिति में रह गए।
- 1988 की राष्ट्रीय वन नीति ने वन संरक्षण में आदिवासी लोगों की भागीदारी पर बल दिया, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण, जीवन और आजीविका के लिए उनके अधिकारों की रक्षा करना था।
- FRA आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन भूमि और संसाधनों तक पहुँचने के अधिकारों को मान्यता देता है।

मुद्दे और चिंताएँ

- लैंड कॉन्फिलक्ट वॉच के अनुसार, 2016 से अब तक FRA से जुड़े 117 भूमि विवाद हुए हैं, जिससे 611,557 लोग प्रभावित हुए हैं।
- मुख्य मुद्दों में एफआरए प्रावधानों का गैर-कार्यान्वयन (88.1%), भूमि अधिकारों पर कानूनी सुरक्षा की कमी (49.15%) और जबरन बेदखली (40.68%) शामिल हैं।
- यह मुद्दा इस बात को लेकर स्पष्टता की कमी से उपजा है कि दावों को खारिज करने में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं, विशेषतः उच्च वामपंथी उग्रवाद वाले आदिवासी क्षेत्रों में।
- कई प्रभावित लोग गरीब, अशिक्षित और सही प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं, साथ ही ग्राम सभाओं को भी अपर्याप्त जानकारी दी गई है।

आगे की राह

- वन अधिकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है जिसे वन भूमि और संसाधनों पर उनके कानूनी अधिकारों को मान्यता देकर स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है।
- यह स्थायी वन प्रबंधन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है, लेकिन इसकी सफलता के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और चुनौतियों का समाधान आवश्यक है।

Source :TH

अंडरसी केबल (Undersea Cables)

संदर्भ

- भारत वर्तमान में नए अंडरसी केबल सिस्टम के उत्तरने के साथ अपने डिजिटल बैकबोन में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ क्षमता और वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- दो प्रमुख प्रणालियाँ - मेटा द्वारा समर्थित 2अफ्रीका पल्स, और SEA-ME-WE-6 (दक्षिण पूर्व एशिया-मध्य पूर्व-पश्चिम यूरोप-6) - 2024 में भारत में उत्तर चुकी हैं, विशेष रूप से चेन्नई और मुंबई में।

SEA-ME-WE 6

- यह सिंगापुर और फ्रांस (मार्सिले) के बीच 21,700 किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल प्रणाली है, जो स्थलीय केबलों के माध्यम से मिस्र को पार करती है।
- SMW6 (SEA-ME-WE 6) संघ में बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई, जिबूती, मिस्र, तुर्की, इटली, फ्रांस, म्यांमार और यमन जैसे देशों की दूरसंचार कंपनियाँ शामिल हैं।

अंडरसी केबल क्या हैं?

- अंडरसी केबल वैश्विक इंटरनेट नेटवर्क को जोड़ते हैं, फाइबर ऑप्टिक स्ट्रैंड के माध्यम से विशाल डेटा ट्रांसफर क्षमता प्रदान करते हैं।

- ये केबल निर्दिष्ट बिंदुओं पर उतरते हैं और स्थलीय नेटवर्क से जुड़े होते हैं।
- वे प्रत्येक जगह इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार ऑपरेटरों को दूसरे देशों के साथ जोड़ते हैं।
- ये केबल कुछ इंच मोटे होते हैं और समुद्र तल के प्रतिकूल वातावरण का सामना करने के लिए भारी पैड वाले होते हैं।
- अंडरसी केबल का महत्व:** वैश्विक डेटा का लगभग 90%, विश्व व्यापार का 80% और प्रमुख वित्तीय और सरकारी लेनदेन अंडरसी केबल पर निर्भर करते हैं।




Fig1: Undersea Telecommunication Cable System

भारत का केबल अवसंरचना

- भारत में दो मुख्य केबल हब हैं, मुंबई और चेन्नई, जहाँ 17 केबल सिस्टम हैं।
- भारत में दो घरेलू केबल सिस्टम भी हैं - चेन्नई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (CANI) केबल जो द्वीपों को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करता है, और कोच्चि लक्ष्द्वीप द्वीप समूह परियोजना।

मेटा द्वारा प्रोजेक्ट वाटरवर्थ:

- मेटा ने अपनी सबसी केबल परियोजना, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ पेश की, जो 50,000 किलोमीटर तक फैलेगी, जो विश्व की सबसे लंबी सबसी केबल परियोजना बन जाएगी।
- इस परियोजना का उद्देश्य वैश्विक संपर्क को बढ़ाना है, जिसमें यू.एस., भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- इस परियोजना के लिए अरबों डॉलर का निवेश शामिल है और इसे कई वर्षों तक चलने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें विश्व भर के उपयोगकर्ताओं को AI एक्सेस प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

भारत पर प्रभाव:

- प्रोजेक्ट वाटर्वर्थ भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विकास में तेजी लाने और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की योजनाओं को समर्थन देने में सहायता करेगा।

तकनीकी विवरण:

- केबल 7,000 मीटर की गहराई तक बिछाई जाएँगी।
- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में केबलों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय लागू किए जाएँगे, जहाँ हानि की संभावना अधिक है।

चिंताएँ

- क्षमता और भविष्य की मांग:** जबकि वर्तमान क्षमता पर्याप्त है, बढ़ता हुआ डेटा ट्रैफिक मौजूदा बुनियादी ढाँचे से आगे निकल सकता है, जिससे भविष्य की पर्याप्तता पर चिंताएँ बढ़ सकती हैं।
- केबल व्यवधान के जोखिम:** 570 वैश्विक सबसी केबल विश्व के 90% डेटा और 80% व्यापार को संभालते हैं।
 - यदि लाल सागर में कोई व्यवधान होता है, तो भारत का 25% इंटरनेट प्रभावित होता है।
 - भारत में केबल मरम्मत के लिए स्थानीय जहाजों की कमी है, जिससे देरी होती है।
- केबल परियोजना में चुनौतियाँ:** अत्यधिक विनियामक अनुमतियाँ प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय केबल सुरक्षा समिति (ICPC):

- 1958 में स्थापित, यह पनडुब्बी केबल उद्योग में सरकारों और वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए एक वैश्विक मंच है।
- इसका मिशन तकनीकी, कानूनी और पर्यावरणीय जानकारी साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करके अंडरसी केबल की सुरक्षा में सुधार करना है।

सुधार सुझाव:

- भारत की सबसी केबल क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए विनियामक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और स्थानीय केबल मरम्मत बुनियादी ढाँचे में निवेश करना आवश्यक है।
- सरकार को कर छूट प्राप्त करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सबसी केबल को महत्वपूर्ण दूरसंचार

बुनियादी ढाँचे के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए।

- मछली पकड़ने की गतिविधियों से होने वाली हानि को रोकने के लिए बेहतर विनियामक स्पष्टा और एक अलग केबल कॉरिडोर की स्थापना की मांग की जा रही है।


ऑप्टिकल फाइबर क्या हैं?

- वे बहुत ही शुद्ध कांच या प्लास्टिक के अविश्वसनीय रूप से पतले धागे हैं। वे प्रकाश स्पंदनों के रूप में सूचना संचारित करते हैं।

वे कैसे कार्य करते हैं?

- वे कुल आंतरिक परावर्तन (TIR) के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एक ऑप्टिकल फाइबर में एक केंद्रीय कोर होता है जो एक क्लैडिंग परत से घिरा होता है। कोर में क्लैडिंग की तुलना में थोड़ा अधिक अपवर्तनांक होता है।
- जब प्रकाश एक निश्चित कोण पर कोर में प्रवेश करता है, तो यह TIR के कारण क्लैडिंग से टकराता रहता है, और न्यूनतम हानि के साथ फाइबर के नीचे की ओर यात्रा करता है।

Basic Operation of an Optical Fiber



Source: TH

संक्षिप्त समाचार

तिपिटक

समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके थाई समकक्ष पैतोंगटान शिनवात्रा ने एक राजनीतिक आदान-प्रदान में ‘द वर्ल्ड तिपिटक: सज्जया फोनेटिक संस्करण’ भेंट किया।

तिपिटक के बारे में

- पाली में तिपिटक शब्द का अर्थ है ‘तीन पिटारियाँ’ जो बौद्ध धर्मग्रंथों के तीन प्राथमिक प्रभागों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- तिपिटक की तीन ‘पिटारियों’ में शामिल हैं:
 - विनय पिटक (अनुशासन की पिटारी):** इसमें मठवासी जीवन और भिक्षुओं और भिक्षुणियों के अनुशासन के लिए नियम और प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
 - मुन्त्र पिटक (प्रवचनों की पिटारी):** इसमें बुद्ध की शिक्षाएँ शामिल हैं, जिन्हें प्रवचनों या उपदेशों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
 - अभिधम्म पिटक (उच्च सिद्धांत की पिटारी):** बौद्ध शिक्षाओं का एक व्यवस्थित और दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
- भारत के राजगृह (राजगीर) में प्रथम बौद्ध परिषद में बुद्ध की मृत्यु (५वीं शताब्दी ईसा पूर्व) के बाद संकलित किया गया।

Source: TH

भरणी महोत्सव

संदर्भ

- कोडुंगल्लूर भरणी के नाम से जाना जाता है, जो केरल के सबसे प्रसिद्ध और गहन उत्सवों में से एक है।
 - यह मलयालम महीने मीनम (मार्च-अप्रैल) के दौरान होता है।

परिचय

- कोडुंगल्लूर भरणी त्रिशूर के कोडुंगल्लूर में श्री कुरुम्बा भगवती मंदिर का वार्षिक उत्सव है।

- यह उत्सव लाल पोशाक पहने हुए कई देवताओं (कोमाराम या वेलीचप्पाडु) की उपस्थिति के साथ एक रहस्यमय अनुभव प्रदान करता है।
- भरणी उत्सव भद्रकाली (हिंदू देवी) के जन्म का जश्न मनाता है, जो कि किंवदंती के अनुसार भगवान शिव की तीसरी आँख से पैदा हुई थीं और वही राक्षस दारिका का नाश करने गई थीं।



Source: TH

संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाला वैधानिक प्रस्ताव पारित किया

समाचार में

- संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पुष्टि करते हुए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित कर दिया है।

राष्ट्रपति शासन के बारे में

- अनुच्छेद 356:** यदि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है, तो संघ सरकार राज्य मरीनरी का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है।
 - छह महीने के लिए वैध और चरणों में तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
 - संदीय अनुमोदन के बिना किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
 - 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978:** राष्ट्रपति शासन को केवल चुनाव आयोग के प्रमाणीकरण के बाद या राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में प्रत्येक 6 महीने में एक वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है।

- अनुच्छेद 365:** यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है।
- इसे प्रथम बार PEPSU राज्य (1954) और फिर केरल (1959) में लगाया गया था।
- संविधान में 'राष्ट्रपति शासन' शब्द का उल्लेख नहीं है।
- प्रमुख मामले:** एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994); बूटा सिंह मामला (2005)।

प्रासंगिक समितियाँ

- सरकारिया आयोग (1987):** अनुच्छेद 356 का दुर्लभ उपयोग; विधानसभा भंग नहीं की गई।
- संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2002):** दोषी राज्य को चेतावनी; राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले मीडिया में व्यापक प्रचार।
- न्यायमूर्ति वी. चेलिया आयोग (2002):** अनुच्छेद 356 का बहुत कम उपयोग।
- पंछी आयोग (2008):** तीन महीने से कम समय के लिए स्थानीय आपातकाल।

Source: AIR

बाकू से बेलेम रोडमैप

समाचार में

- भारत ने ब्रिक्स देशों से 'बाकू से बेलेम रोडमैप' के पीछे एकजुट होने का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) का समर्थन करने के लिए 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्रित करना है।

बाकू से बेलेम रोडमैप क्या है?

- बाकू से बेलेम रोडमैप COP29 (2024) में अपनाई गई एक रणनीतिक रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित मुद्दों पर बातचीत और कार्रवाई का मार्गदर्शन करना है:
 - 2025 के पश्चात् जलवायु वित्त पर एक नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) परिभाषित करना।
 - जलवायु वित्त की अधिक पूर्वानुमानितता, पर्याप्तता और पहुँच सुनिश्चित करना।

- विकासशील देशों में कम कार्बन और जलवायु-प्रतिरोधकता विकास मार्गों का समर्थन करना।
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के कार्यान्वयन को सक्षम बनाना।

जलवायु कार्रवाई के लिए ब्रिक्स क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- ब्रिक्स ब्लॉक -** ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (हाल ही में 6 नए सदस्यों को शामिल करने के लिए विस्तारित) - वैश्विक जनसंख्या का 47% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (PPP) का 36% प्रतिनिधित्व करता है।
- ये उभरती अर्थव्यवस्थाएँ समान पर्यावरणीय चुनौतियों और विकासात्मक आकांक्षाओं का सामना करती हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर न्यायसंगत और समान जलवायु परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए उनका सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है।

यह महत्वपूर्ण क्यों हैं?

- वर्तमान जलवायु वित्त लक्ष्य 100 बिलियन डॉलर/वर्ष (2009 में निर्धारित) लगातार कम होता जा रहा है।
- अध्ययनों से पता चलता है कि विकासशील देशों को अपने NDC लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक वार्षिक 1.3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की आवश्यकता होगी।

Source: PIB

चपाता मिर्च को GI टैग

समाचार में

- तेलंगाना की वारंगल चपाता मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है, को GI रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है।

चपाता मिर्च (टमाटर मिर्च) के बारे में

- चपाता मिर्च अपने लाल रंग के लिए जानी जाती है, लेकिन इसमें तीखापन कम होता है।
- यह अपने प्राकृतिक रंग एजेंट "पैपरिका ओलेओरेसिन" के कारण मांग में है।

- वारंगल चपाता मिर्च में तीन प्रकार के फल होते हैं, जिनके नाम हैं सिंगल पट्टी, डबल पट्टी और ओडालू।



Source: TH

Axiom-4 मिशन (Ax-4)

समाचार में

- भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए Axiom-4 मिशन (Ax-4) का संचालन करेंगे।

क्या आप जानते हैं?

- Axiom मिशन 1 ISSके लिए पहला पूर्णतः निजी मिशन था, इसके बाद Axiom मिशन 2 था, जिसमें पहली सऊदी महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजा गया था, और Axiom मिशन 3, जिसमें वाणिज्यिक मिशन पर पहला तुर्की अंतरिक्ष यात्री और प्रथम ESA अंतरिक्ष यात्री शामिल था।
- 2024 में, Axiom स्पेस ने Axiom मिशन 4 (Ax-4) के लिए भारत (इसरो के माध्यम से), पोलैंड (ESA समर्थन के साथ) और हंगरी के साथ साझेदारी की घोषणा की है।

Axiom अंतरिक्ष मिशन

- Ax-4 चौथा चालक दल मिशन है (ह्यूस्टन स्थित एक निजी कंपनी एक्सोम स्पेस द्वारा आयोजित ISS के लिए)।
 - इसमें शुभांशु शुक्ला, पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन (कमांडर), और अंतरिक्ष यात्री स्लावोज़ उज्नान्स्की-विस्निएक्स्की (पोलैंड) और टिबोर कपू (हंगरी) शामिल होंगे।

- चालक दल ISS पर 14 दिन बिताएगा, मिशन के हिस्से के रूप में लगभग 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेगा।

इसरो की भूमिका

- इसरो का अनुसंधान सूक्ष्मगुरुत्व अध्ययन पर केंद्रित होगा, जिसमें मानव स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष के प्रभावों (जैसे, कंप्यूटर स्क्रीन के शारीरिक और संज्ञानात्मक प्रभाव, कंकाल की मांसपेशियों की शिथिलता), पौधों की वृद्धि और अंतरिक्ष में फसल के बीज के अंकुरण की जांच शामिल है।

महत्व

- यह मिशन सूक्ष्मगुरुत्व अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इसरो, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के बीच सहयोग के साथ अनुसंधान के वैश्विक महत्व को रेखांकित करता है।

Source :TH

कन्नडिप्पया के लिए GI टैग

समाचार में

- कन्नडिप्पया को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हुआ है, जिससे बाजार संरक्षण और वैश्विक मान्यता सुनिश्चित हुई है।

कन्नडिप्पया

- कन्नडिप्पया, जिसका अर्थ है “दर्पण चटाई”, इख के बांस की कोमल आतंरिक परतों से बनाई जाती है।



- यह केरल का एक पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प है।
- सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली चटाई रीड बांस (टीनोस्टैचियम वाइटी) और ओचलैंड्रा प्रजाति जैसी अन्य बांस प्रजातियों से बुनी जाती है।
- इसमें सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंडक प्रदान करने के अनूठे गुण हैं।

- इसे मुख्य रूप से ऊराली, मन्नान, मुथुवा, मलयन और कादर आदिवासी समुदायों और इडुक्की, त्रिशूर, एर्नाकुलम एवं पलक्कड़ जिलों के कारीगरों द्वारा संरक्षित किया जाता है।
- इसे ऐतिहासिक रूप से आदिवासी समुदायों द्वारा सम्मान के प्रतीक के रूप में राजाओं को भेंट किया जाता था।

Source :TH

समुद्री खाद्य निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव

समाचार में

- अमेरिका ने भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात पर 26% टैरिफ लगाया है, जबकि इक्वाडोर पर यह 10%, वियतनाम पर 46% और इंडोनेशिया पर 32% है।

क्या आप जानते हैं?

- अमेरिका ने पहले भी भारतीय जंगली झींगा के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि झींगा मछली पकड़ने के दौरान कछुओं की सुरक्षा के लिए कछुआ अवरोधक उपकरणों (TEDs) की कमी थी।

भारत का बाजार हिस्सा

- भारत अमेरिका को समुद्री खाद्य पदार्थों का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 35% है।
- भारत ने 2023-24 में 17.81 लाख टन समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात किया, जिससे उसे 60,523 करोड़ रुपये की कमाई हुई।
- इन निर्यातों में से अधिकांश जमे हुए झींगे हैं, जिनमें से अमेरिका सबसे बड़ा आयातक है, जिसने लगभग 488 मिलियन डॉलर मूल्य के 2.97 लाख टन खरीदे हैं।
- जमे हुए झींगे भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात की मात्रा का 40% से अधिक और मूल्य का 66% हिस्सा बनाते हैं।

टैरिफ का प्रभाव

- टैरिफ वृद्धि से अमेरिका को भारत के समुद्री खाद्य निर्यात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जिससे अमेरिकी बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है।

- कम टैरिफ दर (10%) के कारण इक्वाडोर अमेरिका को झींगा के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की जगह ले सकता है।
 - इस समय इक्वाडोर के पास अमेरिकी बाजार का 18-19% हिस्सा है।

Source :TH

पोप का पिट वाइपर विष

समाचार में

- एक नए अध्ययन ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है कि पोप्स पिट वाइपर, जो भारत के उत्तरी और पूर्वोत्तर भागों में पाई जाने वाली एक सांप की प्रजाति है, का विष कैसे कार्य करता है।
 - यह अध्ययन विष की विषाक्तता, दवाइयों की प्रगति और उन्नत एंटीवेनम रचनाओं की नींव रखने में सहायता कर सकता है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- वर्तमान में, पोप्स पिट वाइपर के लिए कोई प्रजाति-विशिष्ट एंटीवेनम उपस्थित नहीं है।
- भारत में वाणिज्यिक एंटीवेनम केवल “बिग फोर” सांपों (रसेल्स वाइपर, सॉ-स्केल्ड वाइपर, स्पेक्टेक्लेड कोबरा और कॉमन क्रेट) को लक्षित करते हैं, जिससे पोप्स पिट वाइपर जैसे पिट वाइपर के काटने वाले पीड़ित असुरक्षित और अनुपचारित रह जाते हैं।

पोप्स पिट वाइपर (ट्राइमेरेसुरस पोपेओरम) के बारे में

- नामकरण:** अमेरिकी सरीसृप विज्ञानी क्लिफोर्ड एच. पोप के नाम पर रखा गया।
- निवास:** घने उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वन।
- वितरण:** उत्तरी और पूर्वोत्तर भारत (अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड एवं मेघालय सहित), भूटान, म्यांमार, उत्तरी थाईलैंड

Source: PIB

राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR)

संदर्भ

- राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केन्द्र (NCPOR), गोवा ने अपना 25वाँ स्थापना दिवस मनाया।

परिचय

- NCPOR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
- इसे ध्रुवीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय अभियानों और रणनीतिक हितों के प्रबंधन के लिए बनाया गया था।
- NCPOR अंटार्कटिका में दो दूरस्थ स्टेशन - मैत्री एवं भारती, आर्कटिक में एक - हिमाद्री और हिमालय में एक - हिमांश संचालित करता है।

- यह सागर कन्या नामक एक तैरते हुए समुद्र विज्ञान मंच का भी प्रबंधन करता है।

Source: IE

हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप समूह

संदर्भ

- ट्रम्प के “लिबरेशन डे टैरिफ” ने सभी व्यापार भागीदारों पर आधारभूत 10% टैरिफ लगाया।
 - इसमें हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप शामिल थे, जो उप-अंटार्कटिक हिंद महासागर में सुदूर ज्वालामुखी द्वीप हैं, हालाँकि वे निर्जन हैं।

हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप:

- ये द्वीप आस्ट्रेलियाई क्षेत्र हैं, जिसके कारण इन्हें टैरिफ सूची में शामिल किया गया।



- **स्थान:** दक्षिणी हिंद महासागर में, अंटार्कटिका से लगभग 1,700 किमी और ऑस्ट्रेलिया से 4,100 किमी दक्षिण-पश्चिम में।
- **ज्वालामुखी गतिविधि:** केवल सक्रिय उप-अंटार्कटिक ज्वालामुखी, जिनमें बिंग बेन (हर्ड आइलैंड) और मैकडोनाल्ड आइलैंड ज्वालामुखी शामिल हैं।
- **भूवैज्ञानिक महत्त्व:** क्रस्टल प्लेटों, महासागर बेसिन, ज्वालामुखी गतिविधि तथा ग्लेशियरों और ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए प्रमुख स्थल।
- **अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र:** कोई भी प्रजाति पेश नहीं की गई, जिससे यह समुद्री पक्षियों और स्तनधारियों की बड़ी जनसंख्या के साथ दुर्लभ प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बन गया।
- **वन्यजीव:** हर्ड आइलैंड कॉर्मरिंट, शीथबिल की स्थानिक उप-प्रजातियों और अन्य स्थानिक प्रजातियों का आवास स्थल; सील, पेट्रोल, पेंगुइन और अल्बाट्रॉस के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल।
- **संरक्षण:** पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 1999 और विश्व विरासत सम्मेलन के तहत संरक्षित, अनधिकृत कार्यों के लिए दंड के साथ।
 - वे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध हैं।

Source: IE

